

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सं. जी. - दी.एल.- 3-30082024-256762
CG-DL-E-30082024-256762

बासाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)
प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3355। नई दिल्ली, बहुमतिवार, ब्रह्मस्त 29, 2024/वाहा 7, 1946
No. 3355। NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विविस्तृचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

का.आ. 3684(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें प्रत्येक उत्तर अधिनियम कहा गया है) की द्वारा 3के की उपचारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का विविस्तृचना संघाय का.आ. 2436-E तारीख 24/06/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (II) में प्रकाशित की गई है, द्वारा राजमार्ग राज्य के बूँद जिसे में राष्ट्रीय राजमार्ग संघाय 706 विस्तार (राजगढ़- हरियाणा बोर्ड) के 00+000 कि.मी. से 60+300 कि.मी. तक निर्माण (बड़ा कर्ते / दो लेने वाले लोहवर) के बानाने के लिए उत्तर अधिसूचना करते हैं कि उत्तर अधिनियम की घटना में विविस्तृचना सूचि का अन्तिम कर्ता के बाने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की द्वारा 3के की उपचारा (3) के अधीन जारी द्वारा "राजगढ़" तारीख 10 जुलाई, 2024 और "जयपुर-हास्पा" तारीख 9 जुलाई, 2024 दोनों में प्रकाशित होगा:

जबकि राजमार्ग प्रकाशिकारी को द्वारा 3-ग के तहत दायर आपात प्राप्त हुई है, जिस पर विचार लिया गया है; और उसका उपचार उपचार के बाने आशय की घोषणा की थी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, शहरमार्ग प्राप्तिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की घटना 3की की उपचारा (1) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विविस्तृचना सूचि का प्रयोग के लिए जिया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घटना 3की की उपचारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विविस्तृचना सूचि सभी विन्नलगमों से मुक्त होकर आपातनिक रूप से केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के बाने आशय की घोषणा हो जाएगी।

बन्धुमती

राजमार्ग के बूँद जिसे में राष्ट्रीय राजमार्ग संघाय 706 विस्तार (राजगढ़- हरियाणा बोर्ड)के 00+000 कि.मी. से 60+300 कि.मी. तक जिसे की जाने वाली संघाय रहित राजमार्ग संघाय सहित सूचि का संक्षिप्त विवरण।

राजमार्ग का नाम: राजमार्ग

गांव का नाम: राजगढ़

संघाय का नाम: चूरू

क्रमिक संख्या संघाय सूचि का प्रकार सूचि की प्रकृति सूचि का लोकपक्ष पूर्ण विविस्तृचना का नाम

1 2 3 4 5 6

तालुक का नाम: राजगढ़

गांव का नाम: राजगढ़

संघाय का नाम: चूरू

संघाय का नाम: राजगढ़

<p